# हिंसा मुक्त संरक्षण अधिकार

## प्रकाशन वर्ष - 2013

द्वारा
आभार महिला समिति
छतरपुर

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण
अधिनियम, 2005

**एक परिचय**

घरेलू घिंसा घर के अंदर, नातेदारी या पारिवारिक रिश्तों में होने वाला ऐसा व्यवहार है, जिससे किसी को शारीरिक, मानसिक, यौनिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचता है। ज्यादातर महिलायें और बच्चे ही ऐसी हिंसा के शिकार होते हैं । वर्षों से घरेलू हिंसा घर की चार दीवारी में छिपी रही है - सामाजिक नियमों, परंपराओं, आर्थिक निर्भरता के चलते पीड़ित ऐसी शिकायतों को सामने नहीं लाती हैं ।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' एक ऐसा दीवानी (सिविल) कानून हिंसा पर रोक लगाकर, पीड़ित को तुरंत राहत दी जा सकती है । इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को एक हिंसा मुक्त घर में जीवन जीने का अधिकार देना है ।

इस कानून के अनुसार किसी महिला के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंग, मानसिक या शारीरिक स्थिति को उसके परिवार, नातेदार या रिश्तेदार द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुँचाना घरेलू हिंसा है ।इसमें दहेज, संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं/ कागजात की गैरकानूनी माँग को पूरा करने के लिये, महिला या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की भावना से या धमकाकर उस महिला को परेशान करना, उत्पीड़ित करना, उसको अपहानि या क्षति पहुँचाना या फिर उसके लिये मुश्किल परिस्थिति पैदा करना भी शामिल है।

इस कानून के अनुसार घरेलू हिंसा कई तरह की हो सकती हैं जैसे–

| | |
|---|---|
| **शारीरिक हिंसा** | मारपीट, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दाँत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना या किसी अन्य तरह की चोट पहुँचाना। |
| **यौनकि हिंसा** | बलात्कार, अश्लील साहित्य या अन्य सामग्री देखने के लिये मजबूर करना, पीड़ित का उपयोग दूसरों के मनोरंजन के लिये करना, यौनिक दुर्व्यवहार। |
| **मौखिक हिंसा और भावनात्मक हिंसा** | कलंक लगाना / बुराई करना / मजाक उड़ाना, दहेज आदि के लिये अपमानित करना, बच्चा / बेटा न होने का ताना देना, शिक्षा में अवरोध डालना, नौकरी करने से रोकना / बाहर जाने से रोकना, किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने या न करने का दबाव डालना, या अन्य। |
| **आर्थिक हिंसा** | खाना, कपड़ा, दवाई आदि का खर्च न देना या उनका उपयोग न करने देना, घर का किराया न देना / घर में न रहने देना / घर के किसी भाग में न जाने देना, नौकरी न करने देना / वेतन या मजदूरी छीन लेना, बिना पूछे स्त्रीधन या अन्य कीमती वस्तु को बेच देना, बिलो का भुगतान न करना, या अन्य । |

# समाज में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित भ्रांतियाँ एवं सच्चाई

**भ्रांति :** घरेलू हिंसा केवल तभी होती है जब पति पत्नि को पीटता है ।

**सच्चाई :** घरेलू हिंसा में हमेशा शारीरिक हिंसा ही नहीं होती, यह सम्भाषण (बोलकर) द्वारा, मनोभावों के द्वारा और / अथवा आर्थिक रूप से भी होती है । और यह केवल पति द्वारा ही नहीं वरन् एक नातेदारी में रह रही किसी भी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों व लड़कों पर किसी भी तरह की हिंसा करना घरेलू हिंसा माना जाएगा।

**भ्रांति :** **घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत मामला है।**

**सच्चाई :** घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकार का हनन है जिसमें हम सभी का हस्तक्षेप जरूरी है। इसे व्यक्तिगत कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता ।

**भ्रांति :** **किसी महिला या बच्चे को एक थप्पड़ मारना हिंसा नहीं है।**

**सच्चाई :** हिंसा की मात्रा मापी नहीं जा सकती है, चाहे वह कम हो या ज्यादा । हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती, चाहे वह एक थप्पड़ ही क्यों न हो ।

**भ्रांति :** **एक पिता का बेटी को उसकी भलाई के लिए मारना / धमकाना हिंसा नहीं है ।**

**सच्चाई :** किसी के भी द्वारा किसी भी रूप में की गई हिंसा गलत है क्योंक मारते आप उसी को हैं जो प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है ।

**भ्रांति :** **एक पुरूष एक महिला के साथ केवल तनाव या शराब के नशे में ही हिंसा करता है ।**

**सच्चाई :** हिंसा करने वाले अपने द्वारा की गई हिंसा के लिए बहुत से बहाने जैसे, शराब का नशा या तनाव / दबाव इत्यादि, गढ़ते हैं, जबकि हिंसा तभी होती है जब घरेलू हिंसा करने वाले पुरूष को पता होता है कि सामने वाली महिला पर उसकी सत्ता चल सकती है ।

**भ्रांति :** **एक पति अपनी तंग करने / झगड़ने वाली या शिकायत करने वाली पत्नि के प्रति ही हिंसक होता है।**

**सच्चाई :** सम्बन्धों में चाहे कोई भी समस्या हो, हिंसा का प्रयोग कभी भी किसी भी स्थिति में न्यायसंगत या स्वीकार्य नहीं होता है ।

**भ्रांति :** **घरेलू हिंसा अनपढ़ या गरीब महिलाओं के साथ ही होती है।**

**सच्चाई :** घरेलू हिंसा के सभी मामलों में लगातार यह पाया गया है कि यह सभी प्रकार के परिवारों में घटित होती है । परिवार की आर्थिक स्थिति, कार्य-व्यवसाय, क्षेत्र धार्मिक मान्यताओं, शिक्षा के स्तर या जाति का इसमें कोई असर नहीं पड़ता ।

**भ्रांति :** **घर टूटने से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं इसलिए महिला को किसी भी स्थिति में अपना घर नहीं टूटने देना चाहिए ।**

| | |
|---|---|
| सच्चाई : | यह एक बच्चे के लिए बहुत खुशी स्थिति होगी कि वह ऐसे वातावरण में पल रहा हो जहाँ घरेलू हिंसा का भय व्याप्त है । |
| **भ्रांति :** | **एक महिला पर एक महिला ही हिंसा करती है ।** |
| सच्चाई : | यह पितृसत्तात्मक समाज की विचारधारा है जिसके अन्तर्गत पुरूषों द्वारा महिलाओं का इस्तेमाल अपने उद्देश्य सिद्ध करने के लिये किया जाता रहा है । |
| **भ्रांति :** | **हिंसक प्रवृत्ति वाले पुरूष सामान्यतः मानसिक रूप से बीमार होते हैं ।** |
| सच्चाई : | यह केवल हिंसा के कृत्य को न्यायसंगत बनाने और छिपाने के लिए दी जाने वाली दलील है । |
| **भ्रांति :** | **घरेलू हिंसा का मुद्दा पश्चिमी विचारधारा की देन है।** |
| सच्चाई : | हिंसा किसी क्षेत्र विशेष का हिस्सा नहीं होती है । हमारे देश में घरेलू हिंसा का अपना एक इतिहास रहा है। वर्षों से हम इसे नकारने की कोशिश करते आ रहे हैं। अब कानून के माध्यम से घरेलू हिंसा को पहचानकर उसके निवारण के लिए अनुकूल उपाए करने की कोशिश की गई है। |
| भ्रांति : | यह पूरी तरह से पुरूष विरोधी कानून है और इसके जरिए पुरूषों को जेल हो रही है । |
| सच्चाई : | यह एक हिंसा विरोधी कानून है जो कि हिंसा करने वाले पुरूषों से महिलाओं के हिंसा मुक्त जीवन जीने के अधिकार का संरक्षण करता है । उल्लेखनीय है कि यह एक दीवानी कानून है जिसमें हिंसा करने वाले व्यक्ति को जेल तभी हो सकती है जब वह संरक्षण आदेश का उल्लंघन करे । |

भ्रांति : यह घर तोड़ू कानून है ।

सच्चाई : घरेलू हिंसा कानून एक महिला के उसके घर में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस कानून की मदद से महिला को अपने ही घर में एक हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार मिलता है। यह विचारधारा गलत है कि इस कानून का इस्तेमाल घर तोड़ने के लिए किया जा रहा है ।

## पीड़ित कौन ?

माँ, बहन, बेटी, बहू, भाभी, पत्नि, दूसरी पत्नि, या अन्य महिला जो आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही हो या रह चुकी हो । इस कानून में बच्चों ( लड़के / लड़की ) की तरफ से भी शिकायत की जा सकती है ।

## आरोपी कौन ?

पिता, पुत्र, भाई, पति या कोई भी व्यस्क पुरूष जो पीड़ित के साथ घरेलू नातेदारी में रहता हो या रहता था। यहाँ पर घरेलू नातेदारी का मतलब दो व्यक्तियों के बीच के ऐसे रिश्ते से है जो,

- खून के रिश्ते के कारण
- विवाह या विवाह समान रिश्ते के कारण
- दत्तक ग्रहण ( गोद )के रिश्ते से
- संयुक्त परिवार के सदस्य के रिश्ते से

साझा गृहस्थी में रहते थे या रह रहे हैं ।

यहां साझा गृहस्थी से मतलब उस गृहस्थी से है जहाँ -

- पीड़ित आरोपी के साथ या अकेले या घरेलू नातेदारी में रहती है या रहती थी।
- उस घर के दोनों ( पीड़ित और आरोपी ) या काई एक मालिक है ।
- उस घर के दोनों या कोई एक किरायेदार है / थे ।
- संयुक्त परिवार की गृहस्थी भी शामिल है जिसमें आरोपी सदस्य की हैसियत से रहता है ।

## इस कानून के अंतर्गत कौन शिकायत कर सकता है

- ऐसी कोई भी महिला या बच्चा जिसके साथ हिंसा हुई हो, या
- पीड़ित महिला या बच्चे की तरफ से कोइ अन्य रिश्तेदार,जान पहचान वाला या पड़ोसी,
- चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने वाला या डॉक्टर, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि किसी महिला या बच्चे के साथ घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है ।

## शिकायत किससे कर सकते हैं

- नजदीकी संरक्षण अधिकारी, से, या
- सेवा प्रदाता / महिला संगठन से, या
- नजदीकी थाने के पुलिस अधिकारी, से या

- मजिस्ट्रेट से घरेलू हिंसा होने की शिकायत कर सकते हैं ।

## शिकायत कहाँ कर सकते हैं

- जहाँ पीड़ित या अस्थाई रूप से रहती है या काम करती है
- जहाँ वह व्यक्ति जिसने हिंसा की है / रहता है / या काम करता है ।
- जहाँ हिंसा की घटना घण्टी है

## घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत् पीड़ित को निम्नलिखित राहतें / सहायता मिल सकती है

- **संरक्षण आदेश :** पीड़ित पर की जा रही हिंसा को रोकने के सम्बन्ध में 'हिंसा पर रोक' आदेश जारी किया जा सकता है जिसके तहत् आरोपी को :
  - घरेलू हिंसा करने से मना किया जा सकता है।
  - पीड़ित के काम करने की जगह, या अगर वह पढ़ रही हो तो विद्यालय या अन्य स्थान जहाँ पर वह जाती हो, पर जाने से मना किया जा सकता है।
  - पीड़ित से मौखिक, लिखित, टेलीफोन या ईमेल आदि से किसी भी तरह से सम्पर्क करने से आरोपी को मना किया जा सकता है।
  - पीड़ित के स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ों आदि को वापस करने को कहा जा सकता है।
  - पीड़ित की सम्पत्ति का उपयोग करने से मना किया जा सकता है।
  - पीड़ित के रिश्तेदारों पर हिंसा करने से मना किया जा सकता है
  - उपरोक्त के अलावा कोई अन्य आदेश जो मजिस्ट्रेट जरूरी समझे।
- **निवास आदेश :** आरोपी द्वारा पीड़ित के साझे मकान से बेदखल करने से रोकने के लिए अथवा उसके लिए अलग से रहने की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया जा सकता है। साथ ही इस आदेश के तहत्

- आरोपी या उसके रिश्तेदारों पर साझा गृहस्थी के उस भाग में जिसमें पीड़ित रहती है जाने पर रोक लगाई जा सकती है।
- आरोपी को साझा गृहस्थी से हटाया जा सकता है।
- आरोपी को साझा गृहस्थी में अपना हक छोड़ने से रोका जा सकता है।
- यदि पीड़ित किराए के मकान में रहती है तो आरोपी को किराया देने या उसी स्तर का आवास देने के लिए मजबूर किया जा सकता है जैसा वह साझा गृहस्थी में उपभोग करती थी।

- **अभिरक्षा आदेश :** पीड़ित महिला या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के आवेदन करने पर पीड़ित या उस व्यक्ति को अपने बच्चे को अस्थायी रूप से अपने पास रखने का आदेश मिल सकता है। साथ ही आरोपी को समय समय पर बच्चे से मिलने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु यदि इस तरह की मुलाकात बच्चे के लिए हानिकारण है तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बच्चे से मिलने के लिए मना कर सकता है।
- **आर्थिक सहायता हेतु आदेश :** परिस्थिति के अनुसार महिला की आय में होने वाले नुकसान, उसके और बच्चे पर होने वाले चिकित्सीय खर्च एवं रोजाना के भरण पोषण आदि के लिए उन्हें आरोपी द्वारा आर्थिक सहायता देने का आदेश जारी किया जा सकता है।
- **मुआवजे का आदेश :** आरोपी को घरेलू हिंसा के कृत्य से पीड़ित को होने वाली शारीरिक, मानसिक यातना एवं भावनात्मक कष्ट आदि की भरपाई के लिये मुआवज़ा देने का आदेश जारी किया जा सकता है। और यह आदेश ऊपर दी गई राहतों के अतिरिक्त हो सकता है।

## क्या इस क़ानून के तहत् किसी की गिरफ्तारी की जा सकती है?

जैसा कि कहा जा चुका है कि यह एक दीवानी कानून है, इसलिये इसके अन्तर्गत सज़ा नहीं हो सकती परन्तु यदि आरोपी संरक्षण आदेश या किसी अन्तरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो यह एक संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध है और इसके लिए उसे एक वर्ष तक का कारावास या बीस हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

## कानून के अन्तर्गगत पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट एवं सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य

- **पुलिस अधिकारी**

  जब घरेलू हिंसा की घटना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह घरेलू हिंसा रिपोर्ट प्रारूप 1 (प्रारूप की प्रतिलिपि प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है) में दर्ज करें साथ ही पीड़ित को कानून के तहत उपलब्ध अधिकारों से परिचित करायें और साथ ही यह भी बतायें कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के अन्तर्गत भी मामला दर्ज कर सकती है। इसके अतिरिक्त सेवा प्रदाता से सम्पर्क कर पीड़ित को आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करें।

- **मजिस्ट्रेट**

  किसी पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस कानून के अन्तर्गत दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट को मामले की प्रथम तारीख, पेशी की तिथि से 60 दिन के भीतर आदेश पारित करना चाहिए। प्रथम तारीख या पेशी न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर अवश्यक ही हो जानी चाहिए।

- **सेवा प्रदाता**

  सेवा प्रदाता को पीड़ित के साथ हुई घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसे अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकारों की जानकारी देनी चाहिये। साथ ही पीड़ित की आवश्यकता के अनुसार उसे कानूनी सहायता, आश्रय, चिकित्सीय और आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। यह संरक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ नज़दीकी जुड़ाव/सम्पर्क में रहकर में रहकर भी कार्य कर सकता है।

- **कल्याण विशेषज्ञ**

  कल्याण विशेषज्ञ मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों को सम्पादित करने में सहायता करेगा, जब उसको ऐसा करने के लिए कहा जाएगा।

- **परामर्श विशेषज्ञ/परामर्शदाता**

  परामश विशेषज्ञ/परामर्शदाता मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर पीड़ित या प्रत्यार्थी/जवाबदाता को अकेले या साथ में परामर्श उपलब्ध करायेगा।